


उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)  
 राजेन्द्र पिता कलयाण कुम्हार नि. लाल का खेडा  
 बनाम  
 धीसू लाल पिता भोजाराम भील नि. लाल का खेडा वगैरा  
 किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 616/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख जहकान जो हुकम की समील में जारी हय
14.06.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम लाल का खेडा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 14 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, आ. न. 9 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, आ. न. 10 रकबा 0.3480 हैक्टेयर, आ. न. 8 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, आ. न. 12 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, आ. न. 11 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, आ. न. 13 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, आ. न. 16 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आ. न. 17 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, आ. न. 2 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आ. न. 3 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, आ. न. 4 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, आ. न. 5 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम लाल का खेडा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 14 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, आ. न. 9 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, आ. न. 10 रकबा 0.3480 हैक्टेयर, आ. न. 8 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, आ. न. 12 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, आ. न. 11 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, आ. न. 13 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, आ. न. 16 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आ. न. 17 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, आ. न. 2 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आ. न. 3 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, आ. न. 4 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, आ. न. 5 रकबा 0.1133 हैक्टेयर कि उभय पक्षों की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी,              जहाजपुर (भीलवाडा)         </p>	

राजस्थान-सरकार


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा  
क्रमांक / रीडर / 2023 / 616 / 2023 दिनांक :- . 2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय - प्र सं 616/23 अनवान राजेन्द्र पिता कल्याण कुम्हार नि. लाल का खेडा यनाम धीसू लाल पिता भोजाराम भील नि लाल का खेडा वगैरह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयकित्त अनवान के प्रकरण में ग्राम लाल का खेडा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 14 एकबा 0.8094 हैक्टेयर, आ. न. 9 एकबा 0.2833 हैक्टेयर, आ. न. 10 एकबा 0.3480 हैक्टेयर, आ. न. 8 एकबा 0.2347 हैक्टेयर, आ. न. 12 एकबा 0.7446 हैक्टेयर, आ. न. 11 एकबा 0.0647 हैक्टेयर, आ. न. 13 एकबा 0.1052 हैक्टेयर, आ. न. 16 एकबा 0.0243 हैक्टेयर, आ. न. 17 एकबा 0.7770 हैक्टेयर, आ. न. 2 एकबा 0.2023 हैक्टेयर, आ. न. 3 एकबा 0.1781 हैक्टेयर, आ. न. 4 एकबा 0.1052 हैक्टेयर, आ. न. 5 एकबा 0.1133 हैक्टेयर, भूमि की समय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक शककरगढ को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)